

अधिसूचना


प्रशासक, दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली एतद्वारा संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली, सिलवासा के लिए संघ स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का निम्नरूप से पुनर्गठन करते हैं।

संघ स्तर पर दादरा एवं नगर हवेली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति

- | | |
|---|--------------|
| 1. सचिव (राजभाषा), दादरा एवं नगर हवेली | - अध्यक्ष |
| 2. संयुक्त निदेशक (योजना एवं सांख्यिकीय), दादरा एवं नगर हवेली | - उपाध्यक्ष |
| 3. उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), (वन्य जीव), दादरा एवं नगर हवेली | - अध्यक्ष |
| 4. निवासी उप समाहर्ता (सिलवासा), दादरा एवं नगर हवेली | - अध्यक्ष |
| 5. निवासी उप समाहर्ता (खानवेल), दादरा एवं नगर हवेली | - अध्यक्ष |
| 6. मुख्य अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दादरा एवं नगर हवेली | - अध्यक्ष |
| 7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, दादरा एवं नगर हवेली | - अध्यक्ष |
| 8. उप सचिव (कार्मिक), दादरा एवं नगर हवेली | - अध्यक्ष |
| 9. उप सचिव (राजभाषा), दादरा एवं नगर हवेली | - अध्यक्ष |
| 10. निदेशक (शिक्षा), दादरा एवं नगर हवेली | - अध्यक्ष |
| 11. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, दादरा एवं नगर हवेली | - अध्यक्ष |
| 12. निदेशक, बाल भवन बोर्ड, दादरा एवं नगर हवेली | - अध्यक्ष |
| 13. डिप्टी कमांडेंट, भारतीय रिजर्व बटालियन, दादरा एवं नगर हवेली | - सदस्य |
| 14. उप-निदेशक (राजभाषा), दादरा एवं नगर हवेली | - सदस्य सचिव |

संघ क्षेत्र स्तर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमावली, 1976 एवं राजभाषा नीतियों का दादरा एवं नगर हवेली में स्थित प्रशासन के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यान्वयन करेगी तथा सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाना सुनिश्चित करेगी साथ ही यह समिति समय-समय पर आवधिक बैठकें आयोजित करेगी।

प्रशासक, दमण एवं दीव और दादरा एवं
नगर हवेली के आदेश तथा नामानुसार।


24-07-18
(करणजीत वाडोदरीया)
उप सचिव (राजभाषा)

दादरा एवं नगर हवेली, सिलवासा

सेवा में,

समस्त सदस्यगण, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दादरा एवं नगर हवेली।
प्रतिलिपि :-

1. प्रशासक के निजी सचिव, सचिवालय, दादरा एवं नगर हवेली।
2. प्रशासक के सलाहकार के निजी सहायक, सचिवालय, दादरा एवं नगर हवेली।
3. वित्त सचिव के निजी सहायक, सचिवालय, दादरा एवं नगर हवेली।
4. समाहर्ता, दादरा नगर हवेली के निजी सहायक, समाहर्तालय, दादरा एवं नगर हवेली।
5. सभी विभागाध्यक्ष, दादरा एवं नगर हवेली।
6. प्राचार्य, सरकारी मुद्रणालय, सिलवासा को इस अनुरोध के साथ कि वे इस अधिसूचना को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करें और इसकी 5 प्रतियाँ इस विभाग को कार्यालयीन उपयोग हेतु भिजवायें।
7. राष्ट्रीय मंचना विभाग, दिल्ली